न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

<u>निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस</u>

प्रकरण संख्या 14/**2021** अपील (राजस्व)

1. श्रीमती वाली उर्फ कन्नी पुत्री कुका डांगी निवासी कानपुर तहसील गिर्वा, जिला–उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता कुका डांगी निवासी कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
2. श्री गणेश पिता कुका डांगी निवासी कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
3. श्री नारायण पिता कुका डांगी निवासी कानपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसील गिर्वा नामान्तरण संख्या 1892 निर्णय दिनांक 25.01.2007</u>

उपस्थित : श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बेडवास पटवार सर्कल भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा में खाता संख्या 75 कुल किता 02 रकबा 0. 0650 हे. एवं खाता संख्या 76 कुल किता 34 रकबा 2.6550 हे. भूमि अपीलाण्ट के पिता कुका के नाम पर स्थित थी। कूका का स्वर्गवास हो जाने से पटवार हल्का ने म्यूटेशन संख्या 1892 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम भरकर तहसील गिर्वा में पेश किया तथा तहसीलदार गिर्वा ने इसे मजमेआम में स्वीकृत किया तथा इसी अनुसार जमाबन्दी में नाम दर्ज हो गए। अपीलाण्ट को बैंक से लोन की आवश्यकता होने पर पटवारी साहब से जमाबन्दी नकल लेने हेतु सम्पर्क करने पर पटवारी साहब ने बताया कि आपका नाम जमाबन्दी में दर्ज नही है। अपीलाण्ट ने म्युटेशन की नकल देने के लिए कहा तो पटवारी साहब ने कहा कि म्यूटेशन की नकल तहसील से मिलेगी तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय से म्यूटेशन संख्या 1892 की नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर नकल प्राप्त होते ही अपील इन आधारो पर पेश की जा रही है कि कुका के स्वर्गवास हो जाने पर वारिसों के नाम मांगीलाल ने बताये थे तथा अपीलाण्ट का नाम इसलिए नही बताया क्योंकि उन्होनें यह सोच लिया कि लडकियों का कोई हक अधिकार सन 2005 के पूर्व नही लगता है व लडकी होने बाबत एक शब्द भी पटवारी साहब व इंस्पेक्टर साहब को नही बताया। जिन वारिसानों के नाम मांगीलाल ने बताये उन्हीं को वारिस मानकर म्यूटेशन भर दिया व स्वीकृत कर दिया गया। सरपंच ने भी कोई जांच वारिसान की नही की तथा म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया। अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना तथा सूचना दिये बिना एवं बिना सूने आदेश पारित कर दिया गया। कथित म्यूटेशन एबइनिश्योवोइड है क्योंकि सन 1956 के बाद कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके सारे वारिसान चाहे व औरत हो या लडकी हो उन सबको पक्षकार बनाया जाता है व मृतक के बजाय सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है। भाई ने बहन का नाम नही बताया तथा केवल तीनो भाईयों का नाम ही पटवारी साहब को बताने से तीनों भाईयों के नाम म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया। अपीलाण्ट कुका की नेचुरल लडकी है तथा कुका जी की जायदाद में अपीलाण्ट का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के बराबर हिस्सा है व अपीलाण्ट 1/4 हिस्से की मालिक काबिज है परन्तु उनके नाम म्यूटेशन खोले बिना ही जो आदेश पारित किया वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार गिर्वा का म्यूटेशन संख्या 1892 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 को निरस्त फरमाया जाकर कुका के बजाय नामान्तरकरण मांगीलाल, गणेश, नारायण एवं श्रीमती वाली के नाम हिस्सा बराबर से खोला जाकर स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3 व विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बेडवास पटवार सर्कल भोईयों की पंचोली, तहसील गिर्वा में खाता संख्या 75 कुल किता 02 रकबा 0.0650 हे. एवं खाता संख्या 76 कुल किता 34 रकबा 2.6550 हे. भूमि अपीलाण्ट के पिता कुका के नाम पर दर्ज थी। कुका की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसानों के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु मांगीलाल द्वारा केवल तीनों भाईयों के नाम बताने एवं बहन का नाम नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested

बताने से तीनो भाईयों के नाम से ही म्यूटेशन खुल गया मांगीलाल ने अपीलाण्ट का नाम इसलिए नही बताया क्योंकि उन्होनें यह सोच लिया कि लडकियों का कोई हक अधिकार सन 2005 के पूर्व नही लगता है व लडकी होने बाबत एक शब्द भी पटवारी साहब व इंस्पेक्टर साहब को नही बताया। अपीलाण्ट का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के बराबर हिस्सा है व 1/4 हिस्से की मालिक काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाए तथा सूचना दिये बिना निर्णय पारित कर दिया जबकि सन 1956 के बाद कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसके सारे वारिसान चाहे औरत हो या लडकी हो उन सबको पक्षकार बनाया जाता है व मृतक के बजाय सभी वारिसान को पक्षकार बनाया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार किये बिना आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार गिर्वा का म्यूटेशन संख्या 1892 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2007 को निरस्त फरमाया जाकर कुका के बजाय नामान्तरकरण मांगीलाल, गणेश, नारायण एवं श्रीमती वाली के नाम हिस्सा बराबर से खोला जाकर स्वीकृत कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में बहस अपीलाण्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न जमाबन्दी अनुसार कुका पिता गांगा 1/4 डांगी के नाम दर्ज खाता संख्या 75 किता 02 रकबा 0.0650 हे. भूमि एवं कुका पिता मेगा 1/2 डांगी के नाम दर्ज खाता संख्या 76 किता 34 रकबा 2.6550 हे. भूमि मांगीलाल, गणेश, नारायण पिता कुका के नाम दर्ज की गई। जमाबन्दी मे कुका के पुत्र मांगीलाल, गणेश, नारायण है, पुत्रियां नही अंकित किया हुआ है। कुका के फौत हो जाने से उक्त नामान्तरण संख्या 1892 ग्राम सम्पर्क अभियान 2007 में खोला गया। अपीलाण्ट द्वारा विधिक वारिसान होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरे की प्रति संलग्न की है जो प्रमाणित नही है, संलग्न आधार कार्ड से भी यह स्पष्ट नही हो रहा है कि अपीलाण्ट कुका की पुत्री है। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 75 व खाता संख्या 76 में कुका के पिता का नाम भिन्न है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट होता है कि गांगा व मेगा दोनो एक ही व्यक्ति है। पिता के नाम में भिन्नता होने के बावजूद नामान्तरण पुत्रों के नाम कैसे खोला गया यह स्पष्ट नही है। अपीलाण्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही भी कुका के पिता का नाम अंकित नही किया गया है। संलग्न सजरे में कुका के पिता का नाम डांगी अंकित है ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 75 किता 02 रकबा 0.0650 हे. भूमि का ही नामान्तरण होना चाहिए था।

उक्त विवेचन के आधार पर ग्राम बेडवास पटवार मण्डल भोईयो की पंचोली तहसील गिर्वा का नामान्तरकरण संख्या 1892 खारिज किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह कुका के पिता के नाम में भिन्नता होने पर भी नामान्तरण किस आधार पर खोला गया? क्या गांगा एवं मेगा एक ही व्यक्ति है? के सम्बन्ध में जांच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत कुका के विधिक वारिसानो के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कराने की कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:31 IST
Reason: SelfAttested